सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में प्रथम अपीलीय अधिकारी दिलीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

अपील प्रकरण क्रमांक — 05/2017
श्री सुभाष कुमार यादव
कैलाश नगर वार्ड कमांक 11 दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ....अपीलार्थी
विरूद्ध
जन सूचना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ....रिस्पाडेंट

—आदेश—

(पारित दिनांक 07—07—2017)

- श्री सुभाष कुमार यादव कैलाश नगर वार्ड कमांक 11 दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ0ग0 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्रथम अपील, समक्ष में उपस्थित होकर दिनांक 12—06—2017 को प्रस्तुत किया गया।
- अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील शुल्क की राशि 50.00 रू0 चालान कमांक 21/08—06—2017 के द्वारा खजाना दाखिल कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया । प्रथम अपील के साथ अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा को प्रस्तुत आवेदन पत्र 05—05—2017, की की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में लेख किया है कि उक्त आवेदन पत्र के द्वारा उन्होंने 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी किन्तु निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के बाद भी जन सूचना अधिकारी की ओर से उन्हें जानकारी नहीं दी गई और न ही जानकारी नहीं दिए जाने के कारण से अवगत कराया गया है।
- अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05—05—2017 का अवलोकन किया गया। आवेदन पत्र के अनुसार उन्होंने निम्नांकित दो बिन्दुओं से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध जन सूचना अधिकारी से किया था :—

  1— नॉलेज लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड रिफरेंश नम्बर आईएनडी/2014—15/जीडब्ल्यूबी/008 संदर्भित पत्र दिनांक 12—01—/015 के अनुसार दिनांक 30—04—2015 को अनुबंध समाप्त हुआ । उसके पश्चात् दिनांक 01—05—2015 से नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि।

  2— दिए गए वेतन भुगतान हेतु वेतन निर्धारण के नियम अथवा आदेश की प्रति।
- उभय पक्ष को सूचना पत्र कमांक/3154/दि0 13—06—2017 प्रेषित कर पक्ष समर्थन में जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने दिनांक 30—06—2017 को उपस्थित होने सूचित किया गया।
- प्रकरण की प्रथम सुनवाई तिथि दिनांक 30—06—2017 को अपीलार्थी श्री सुभाष यादव तथा जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दंतेवाड़ा की ओर से स्वच्छता मिशन के परियोजना अधिकारी श्री देवेन्द्र झाड़ी उपस्थित हुए। श्री देवेन्द्र झाड़ी के द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत दन्तेवाड़ा के पत्र कमांक/1436/दिनांक 29—06—2017 तथा 33 पेज की जानकारी प्रस्तुत की गई। इस पत्र की प्रतिलिपि व 33 पेज की जानकारी अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है। अपीलार्थी ने सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि आज ही उन्हें उक्त पत्र तथा संलग्न जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
- प्रकरण की द्वितीय सुनवाई दिनांक 07—07—2017 को, प्रस्तुत पत्र तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार जन सूचना अधिकारी की ओर से निम्नानुसार जानकारी व जवाब अपीलार्थी को प्रदाय किया गया है। जो कि अपीलार्थी को प्राप्त होना स्वीकार किया गया है।

  1— अपीलार्थी के प्रथम बिन्दु के जवाब में लेख किया गया है कि इस बिन्दु से संबंधित आदेश की प्रति उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।

  2— अपीलार्थी के द्वितीय बिन्दु के संबंध में लेख किया गया है कि श्री नेमूराम यादव से संबंधित यूनिसेफ सपोर्ट एवं वेतन निर्धारण से संबंधित 33 पेज की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
- अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी की ओर से कार्यालय में उपलब्ध दो बिन्दुओं से संबंधित जानकारी निःशुल्क प्रदाय कर दी गई है तथा अपीलार्थी द्वारा भी उपरोक्त दर्शित विवरण अनुसार जानकारी प्राप्त होना स्वीकार किया गया है। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा

पृ०क्र० / 3675-A / सू०अ० / अपील / 2017 दन्तेवाड़ा दिनांक 12 –07–2017

प्रतिलिपि :–

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी / जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2– श्री सुभाष यादव, कैलाश नगर वार्ड क्रमांक 11 दन्तेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ लेख है कि इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो निम्नलिखित पते पर, 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील कर सकते हैं।

3– डी०आई०ओ०,एन०आई०सी० केन्द्र जिला कार्यालय दंतेवाड़ा की ओर वेब साईट में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पताः–

मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड शंकर नगर रायपुर (छ०ग०)

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा